(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सरकारी छुट्टियां मान्य की गयी हैं ; सरकारी कर्मचारियों को इनके अलावा प्रतिवर्ष वेतन सहित कितनी छुट्टियां दी जाती हैं ; शनिवार के छुट्टी को शामिल करते हुए सरकार कर्मचारियों को कुल कितनी छुट्टियां दी जाती हैं और शनिवार की छुट्टी से उन्हें क्या लाभ हुआ है ; और

(ख) शनिवार को छुट्टी खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती) : (क) गैर-औद्योगिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सामान्यतः एक कैलेण्डर वर्ष में छुट्टियों तथा अवकाश के हकदारी निम्नानुसार है :—

सार्वजनिक छुट्टियां	16
वैकल्पिक छुट्टियां	52
अर्जित अवकाश	30
अर्द्ध-वेतन अवकाश	20
साप्ताहिक अवकाश (सामान्यतः रविवार को)	2

सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में, 3-6-1985 से लागू की गई पांच दिवसीय प्रणाली से अब ये कार्यालय एक कैलेण्डर वर्ष में 52 शनिवारों की छुट्टियों सहित, सोमवार से शुक्रवार तक कार्य करते हैं । शनिवार के अवकाशों से सरकारी कर्मचारियों को उनके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की दृष्टि से अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं जो कि आराम और मनोरंजन के जरिए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है । ये अवकाश उन्हें अपने सामाजिक दायित्व और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होते हैं ।

(ख) जिन कार्यालयों में आजकल पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू है, उनमें शनिवार की छुट्टी को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

New Legislation for environment protection

313. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to bring a new legislation for safeguarding the environment in the country; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) A comprehensive legislation viz. the Environment (Protection) Act, 1986 was enacted on 23rd May, 1986. There is no proposal to enact any fresh law on environmental protection.

Admission in schools under the control of Ministry of Defence

314. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of schools are being managed by the Ministry of Defence for the children of Army personnel in several parts of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the criteria for selection/admission of children in these schools;

(d) whether besides the children of army personnel, children of the civilians are also being admitted in these schools; and

(e) if so, whether it is a fact that several children were recently refused admission in the Ajmer Military School?